

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अंतरांकित प्रश्न सं. 338
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

मेक इन इंडिया के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

338. श्री राजू बिष्ट: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश के रूप में भारत के विकास में मेक इन इंडिया पहल ने किस प्रकार योगदान दिया है;
- (ख) सरकार द्वारा सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों से सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण को बढ़ाने में किस प्रकार मदद मिली है;
- (घ) रोजगार के अवसर सृजित करने और निवेश आकर्षित करने में सरकार की सौर पीएलआई योजना के महत्व का व्यौरा क्या है; और
- (ङ) सौर पीवी विनिर्माण क्षमता में भारत की तीव्र वृद्धि ने देश को घरेलू और वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं दोनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार स्थापित किया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) और (ख): भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल, भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवोन्मेष के केंद्र के रूप में बदलने के लिए निवेश को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय अवसंरचना में परिवर्तित करने में एक प्रेरक शक्ति रही है। भारत सरकार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआई) सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य अक्षय ऊर्जा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियाँ जारी कर रहा है। विभिन्न पहलों में अन्य के साथ-साथ अनुलग्नक में उल्लिखित पहल शामिल हैं।
- (ग) दिनांक 28.04.2021 को एमएनआई ने उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए। उस समय भारत में मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) के तहत सूचीबद्ध सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 8.2 गीगावाट थी। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, यह क्षमता बढ़कर लगभग 60.5 गीगावाट हो चुकी है। भारत में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में इस तीव्र वृद्धि में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन है।
- (घ) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत चयनित सौर पीवी विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 35,000 करोड़ रु. का निवेश किया गया है और लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है।
- (ङ) वित वर्ष 2023-24 में देश में जोड़ी गई सौर विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 15.03 गीगावाट थी। मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) में सूचीबद्ध सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता के संबंध में आंकड़ों के अनुसार, देश में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापित क्षमता लगभग 60.5 गीगावाट है। इस प्रकार, देश घरेलू मांग को पूरा करने और निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

'मेक इन इंडिया के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 338 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलेखनक

सौर पीवी मॉड्यूलों और अन्य अक्षय ऊर्जा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। यह योजना दो ट्रांश में लागू की जा रही है। ट्रांश-I में 4,500 करोड़ रु. का परिव्यय है, जिसके तहत 8,737 मेगावाट की पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं। 19,500 करोड़ रु. के परिव्यय से ट्रांश-II के लिए, 39,600 मेगावाट की पूरी तरह से/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के तहत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख एंड ग, और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, इसमें स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयता: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश' के अनुसार, एमएनआरई ने आरई क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) को अधिसूचित किया था, जो अन्य के साथ-साथ, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान करता है जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है और यह अनिवार्यता है कि केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होगा, इस अनिवार्यता के साथ कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iv) सौर पीवी कोशिकाओं और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क लगाना: सरकार ने दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) सीमा शुल्क रियायतों को बंद करना: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क रियायत प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

(vi) पवन क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण: एमएनआरई ने 'मॉडल और विनिर्माताओं की संशोधित सूची (आरएलएमएम)' के तहत प्रकार और गुणवत्ता प्रमाणित पवन टर्बाइनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया भी लागू की है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि हवा और नेसेल असेंबली/विनिर्माण सुविधा भारत में होनी चाहिए। भारत में 14 अलग-अलग कंपनियों द्वारा पवन टर्बाइनों के लगभग 31 अलग-अलग मॉडल बनाए जा रहे हैं। देश में पवन टरबाइनों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 18,000 मेगावाट है।

(vii) अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कुशल और किफायती तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)" लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश में ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों, बायोगैस प्रणालियों, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, हाइब्रिड प्रणालियों, भंडारण प्रणालियों, हाइड्रोजन और ईंधन सेलों, भूतापीय आदि जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करना है। यह सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक और उद्योग, स्टार्टअप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।